

बिहार सरकार

श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग

बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति

आदेश

बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना (संशोधन) 2024 के अंतर्गत श्रम अधीक्षक, गोपालगंज के ज्ञापांक (कॉलम 6 में वर्णित) से छात्रवृत्ति हेतु कक्षा 11वीं/12वीं में अध्ययनरत 03(तीन) छात्र/छात्रा को प्रति छात्र/छात्रा रु० 2,500/- (दो हजार पाँच सौ रुपए मात्र) की दर से राशि रु० 7,500/- (सात हजार पाँच सौ रुपए मात्र) ITI में अध्ययनरत 01 (एक) छात्र/छात्रा को रु० 5,000/- (पाँच हजार रुपए मात्र) अर्थात् कुल:- 12,500/- (बारह हजार पाँच सौ रुपए मात्र) अनुदान की स्वीकृतोपरांत राशि विमुक्ति हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव के आलोक में दावेदार कामगारों/शिल्पकारों के अध्ययनरत पुत्र/पुत्री को स्वीकृत राशि की विमुक्ति का आदेश दिया जाता है। दावेदार कामगारों/शिल्पकारों का नाम, उनके पुत्र/पुत्री का नाम एवं पता तथा बैंक लेखा संख्या निम्नांकित है:-

क्र 0 सं 0	दावेदार का नाम, उम्र, पिता/पति का नाम, कोटि, कार्य की प्रकृति	पुत्र/पुत्री का नाम एवं आधार संख्या	राज्य के अंदर अध्ययनरत छात्र/ छात्रा का सत्र/ संस्थान का नाम	माता एवं पिता का आधार संख्या	श्रम अधीक्षक का पत्रांक / दिनांक	पता	पुत्र/पुत्री का बैंक का नाम खाता संख्या एवं आईएफएस 0 सी0	छात्रवृत्ति 1 हेतु स्वीकृत अनुदान की राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	श्रीमति अनिता देवी, उम्र-56वर्ष, पिता-श्री राजकुमार महता, कोटि-अ0पि0व र्ग, खेतिहर मजदूर	संजना कुमारी, आधार- मो०- 9572990426	हाई स्कूल शाहपुर सिधवलिया, सत्र-2024-26 कक्षा-12 प्रथम लाभ	पिता का आधार- 8481-5328- 7142, माता का आधार- 8237-5758- 6993	223, 21.02. 2026 425, 26.04. 2026	ग्राम-सुरहियाँ, पो0+थाना- सिधवलिया, प्रखण्ड- सिधवलिया, जिला- गोपालगंज	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, खाता सं०- 38157007303 IFSC CODE- SBIN000542 4	2,500 /- (दो हजार पाँच सौ रुपए मात्र)
2	श्री विनोद साह, उम्र-51 वर्ष, पिता-श्री काशी साह, कोटि-अ0पि0व र्ग, खेतिहर मजदूर	शशि कुमार, आधार- मो०- 8210292824	हाई स्कूल शाहपुर सिधवलिया, सत्र-2025-27 कक्षा-11 प्रथम लाभ	पिता का आधार- 5577-8674- 7065, माता का आधार- 4413-8842- 1801	223, 21.02. 2026 425, 26.04. 2026	ग्राम-बुधैया, पो0+थाना- सिधवलिया, प्रखण्ड- सिधवलिया, जिला- गोपालगंज	इण्डिया पोस्ट पेमेंट बैंक, खाता सं०- 007810281079 IFSC CODE- IPOS000000 1	2,500 /- (दो हजार पाँच सौ रुपए मात्र)
3	श्रीमति विद्या पति देवी, उम्र-63 वर्ष, पिता-श्री शिवजी मांझी, कोटि-अनु0 जाति, खेतिहर मजदूर	अंचल कुमार, आधार- मो०- 9199679058	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, हथुआ, सत्र-2025-27 कक्षा-ITI प्रथम लाभ	पिता का आधार- 6291-7239- 5385, माता का आधार- 6406-5594- 1206	254, 02.03. 2026 425, 26.04. 2026	ग्राम-जिगना गोपाल, पो0+थाना- मीरगंज, प्रखण्ड- हथुआ, जिला- गोपालगंज	उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, खाता सं०- 10052510301 10427 IFSC CODE- PUNB0MBGB0 6	5,000 /- (पाँच हजार रुपए मात्र)
4	श्री विनोद राम, उम्र-44 वर्ष, पिता-श्री सुग्रीव राम, कोटि-अनु0 जाति, खेतिहर मजदूर	खुशबु कुमारी, आधार- मो०- 8757727256	हाई स्कूल शाहपुर सिधवलिया, सत्र-2025-27 कक्षा-11 प्रथम लाभ	पिता का आधार- 6101-7109- 4358, माता का आधार- 9617-2576- 5051	254, 02.03. 2026 425, 26.04. 2026	ग्राम-शाहपुर, पो0+थाना- सिधवलिया, प्रखण्ड- सिधवलिया, जिला- गोपालगंज	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, खाता सं०- 36451248352 IFSC CODE- SBIN000542 4	2,500 /- (दो हजार पाँच सौ रुपए मात्र)

कुल:- 12,500/-

(बारह हजार पाँच सौ रुपए मात्र)



2. उक्त राशि भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना में पोषित बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति के बचत खाता संख्या 37062727316 से "बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011" के सहायक अनुदान इकाई से विकलनीय होगी।

3. उपरोक्त स्वीकृत राशि (कॉलम नं० 9) का भुगतान RTGS के माध्यम से सीधे कॉलम नं० 3 में अंकित पुत्र/पुत्री के बैंक खाते कॉलम 08 में किया जाएगा।

ह०/-
(रोहित कुमार),
मुख्य वित्त पदाधिकारी

ह०/-
(राजेश भारती),
कार्यकारी निदेशक।

ज्ञाप संख्या :- श्रम क०सं०-121/2025 - 702

पटना, दिनांक :- 16/06/2026

प्रतिलिपि :- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना, उपरोक्त आदेश के कॉलम 3 में अंकित पुत्र/पुत्री को उनके नाम के सामने अंकित खाता संख्या में कॉलम नं० 9 में स्वीकृत राशि RTGS के माध्यम से अन्तरित करना सुनिश्चित करेंगे। यदि किसी कारण राशि का अंतरण नहीं हो पाता है तो इसकी सूचना अविलंब मुख्य वित्त पदाधिकारी, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, नियोजन भवन को देंगे/लेखा शाखा, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, बिहार, पटना, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग को सूचनार्थ प्रेषित। निदेशित है कि उक्त कुल स्वीकृत राशि **रु 12,500/- (बारह हजार पॉच सौ रूपए मात्र)** बैंक से अंतरण के पश्चात् लेखा संधारण करना सुनिश्चित करेंगे। श्रम अधीक्षक, गोपालगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/आईटीओ मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग (विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/माननीय मंत्री के आप्त सचिव, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

Signed by Rohit Kumar
Date: 12-06-2026 17:20:34

(रोहित कुमार),
मुख्य वित्त पदाधिकारी

Rajesh Bharti

(राजेश भारती),
कार्यकारी निदेशक।